भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200368

→ किस्म दस्तावेज – बैनामा

→ भूमि का प्रकार – आवासीय

→ मौहल्ला – मौजा कलवारी (नारायन सिटी), तहसील व जिला आगरा

→ सम्पत्ति का विवरण – प्लाट संख्या 30,31,32,25 मिन जुमला खसरा संख्या 111

→ मापन की इकाई – वर्गमीटर

→ सम्पत्ति का क्षेत्रफल –

प्लाट संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
30	88 * 43
31	88 * 49
32	88 * 49
25	105*68
कुल किता चार	कुल क्षेत्रफल 371 * 15

For Narayan Infratech

Partner

एस. पी. सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200372

→ सड़क की स्थिति – 9 मीटर चौड़ी

→ अन्य विवरण – दो रोड नहीं

पार्क फेस नहीं

→ सम्पत्ति का प्रकार – रिक्त प्लाट जिस पर कोई निर्माण नहीं है।

→ आच्छादित क्षेत्रफल – शून्य

→ विक्रीत कीमत – 11,13,450/– रुपया

→ सरकारी मालियत – 25,88,050/– रुपया

→ सर्किल रेट – 7,000/– रुपया प्रति वर्गमीटर जो दर सूची के पेज नम्बर 18 पर दर्ज है। उक्त प्लाट सर्किल रेट लिस्ट में उल्लिखित किसी भी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है।

→ स्टाम्प – 1,82,000/– रुपया

➤ विक्रीत प्लाट संख्या 30 की नाप व सीमायें इस प्रकार है –

दिशा	नाप	सीमा
पूरब	6•45 मीटर	सड़क 9 मीटर चौड़ी
पश्चिम	6•45 मीटर	प्लाट संख्या 38, 39
उत्तर	13•72 मीटर	प्लाट संख्या 29
दक्षिण	13•72 मीटर	प्लाट संख्या 31

एडि•वि•

For Naarayan Infratech

Partner

विक्रय पत्र

1,171,450.00 /	2,598,050.00	20,400.00	80	20,080.00	24
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री शैलेश अग्रवाल
पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी रावत पाड़ा लोहा मंडी आगरा
अस्थायी पता :

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/4/2017 समय 1:29PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिव कुमार
उपनिबन्धक द्वितीय
आगरा सदर
20/4/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता :
श्री आशीष मंगल
पुत्र श्री राकेश मंगल
पेशा व्यापार
निवासी कमला नगर आगरा

क्रेता :
श्री शैलेश अग्रवाल
पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी रावत पाड़ा लोहा मंडी आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान मुकेश कुमार
पुत्र राधेश्याम
पेशा व्यापार
निवासी कमला नगर आगरा
व सोनू
पुत्र श्रीकिशन गोयल
पेशा व्यापार
निवासी बोदला आगरा
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिव कुमार
उपनिबन्धक द्वितीय
आगरा सदर
20/4/2017

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200371

≈3≈

विक्रीत प्लाट संख्या 31 की नाप व सीमायें इस प्रकार है –

दिशा	नाप	सीमा
पूरब	6•45 मीटर	सड़क 9 मीटर चौड़ी
पश्चिम	6•45 मीटर	प्लाट संख्या 37, 36
उत्तर	13•72 मीटर	प्लाट संख्या 30
दक्षिण	13•72 मीटर	प्लाट संख्या 32

विक्रीत प्लाट संख्या 32 की नाप व सीमायें इस प्रकार है –

दिशा	नाप	सीमा
पूरब	6•45 मीटर	सड़क 9 मीटर चौड़ी
पश्चिम	8•45 मीटर	प्लाट संख्या 36,37
उत्तर	13•72 मीटर	प्लाट संख्या 31
दक्षिण	13•72 मीटर	प्लाट संख्या 33

For [illegible] Infratech

Partner

[illegible]

Registration No. 2564 Year 2,017 Book No. 1

0101 आशीष मंगल

[illegible]

[illegible] नगर, आगरा

आगरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200370

≈4≈

विक्रीत प्लाट संख्या 25 की औसत पैमाइश 7•49 बाई 14•11 मीटर है व सीमायें इस प्रकार है –

दिशा	सीमा
पूरब	दीगर जमीन
पश्चिम	सड़क 9 मीटर चौड़ी
उत्तर	प्लाट संख्या 24
दक्षिण	जमीन समिति

➤ विक्रीत प्लाट संलग्न नक्शे में रंग लाल से जाहिर किये गये है।

→ प्रथमपक्ष की संख्या – एवं विक्रेता का विवरण –

1– नवयुग सहकारी आवास समिति लि० आगरा निबन्धन संख्या 1129 दिनांक 31–03–1987 द्वारा सचिव आशीष मंगल पुत्र श्री राकेश मंगल निवासी बी–124, कमला नगर, शहर आगरा।

→ द्वितीयपक्ष की संख्या –एवं क्रेता का विवरण –

1– नारायन इन्फ्राटेक द्वारा पार्टनर शैलेश अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल कार्यालय डी–15, रमन टॉवर, संजय प्लेस शहर आगरा।

–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–

नवयुग सहकारी आवास स०लि० आगरा

For Narayan Infratech

Partner

[illegible]

Year : 2,017

Book No. 1

Registration No. 2504

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200369

=5=

विदित हो कि प्रथमपक्ष समिति ने उक्त वर्णित प्लाट को वखमूल मीगर जमीन सहित बजरिये तीन किता बैनामा प्रत्येक नविसा राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद प्रत्येक मौसूमा प्रथमपक्ष समिति प्रथम बैनामा बही संख्या 1 जिल्द 65 सफा 341/352 नम्बर 38566 पर दिनांक 26–12–1989 व द्वितीय बैनामा बही संख्या 1 खण्ड 65 सफा 357/366 नम्बर 38569 पर दिनांक 26–12–1989 व तृतीय बैनामा बही संख्या 1 खण्ड 98 सफा 265/294 नम्बर 38695 पर दिनांक 27–12–1989 को कार्यालय उप निबन्धक आगरा के यहां विधिवत दर्ज रजिस्टर्ड हुई है, के तहत खरीद की और कब्जा व दखल प्राप्त किया और मालिक व काबिज बनी।

सचिव

आगरा

For ... Partner

गवाह

Registration No. 2464 Year : 2017 Book No. 1

W1 सुनील कुमार

[illegible]

कमला नगर आगरा

व्यापार

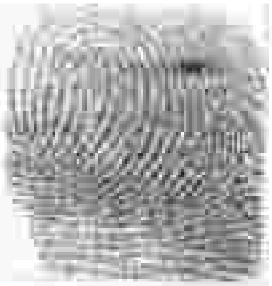

W2 [illegible]

ओंकार नाथ

[illegible]

व्यापार

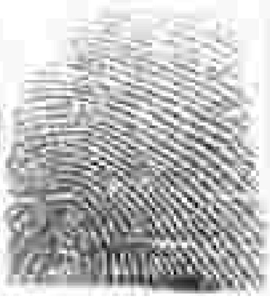

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

200418

कोषागार, आगरा

≈6≈

विदित हो कि इस प्रकार प्रथमपक्ष समिति उक्त प्लाटों की तन्हा मालिक स्वामी काबिज चली आती है कि जिसमें सिवाय प्रथमपक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी प्रकार का नहीं है और उक्त प्लाट प्रथमपक्ष की तरफ से आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेबिल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है । जिसकी जमीन नजूल या राजकीय संस्थान की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है ।

विदित हो कि विक्रेता समिति उ०प्र० सहकारी समितियां अधिनियम सन 1965 के परिच्छेद 8 के अन्तर्गत आती है तथा उ०प्र० सहकारी आवास संघ लि० लखनऊ (एपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी) की विधिवत सदस्य है। उक्त प्लाट को उक्त क्रेता समिति से समिति के नियमानुसार प्राप्त करना चाहते है जिसकी बाबत मुख्य सचिव को बैनामा करने के अधिकार व समिति को विक्रय आदि के अधिकार विधिवत प्राप्त है।

[illegible] लि०
आगरा

For [illegible]

Partner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200421

≈7≈

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित प्लाट नम्बर 30,31,32,26 कुल क्षेत्रफल 371•15 वर्गमीटर मिन जुमला खसरा संख्या 111 वाके मौजा कलवारी (नारायन सिटी) तहसील व जिला आगरा को समिति के नियमानुसार समिति के द्वारा निर्धारित मूल्य 11,13,450/- ग्यारह लाख तेरह हजार चार सौ पचास रुपया कि आधे जिसके 5,56,725/- पांच लाख छप्पन हजार सात सौ पच्चीस रुपया होते है बदस्त नारायन इन्फ्राटेक द्वारा पार्टनर शैलेश अग्रवाल उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में पूर्ण आधिपत्य व स्वामित्व व मूल टाइटिल सहित बैय कराई किया और बेच दिया ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200420

≈8≈

विदित हो कि द्वितीयपक्ष ने खसरा संख्या 111 उपरोक्त की जमीन का प्रथमपक्ष से सौदा करते समय वर्ष 2011 में एक चैक संख्या 850752 दिनांक 15–02–2011 धनराशि 2,00,000/– दो लाख रुपया सिंडीकेट बैंक व चैक संख्या 850753 दिनांक 12–05–2011 धनराशि 500,000/– पांच लाख रुपया सिंडीकेट बैंक का प्रथमपक्ष समिति को अदा किया इसलिये इस बैनामा में लेन देन पुरानी दिनांक के सर्किल रेट से हुआ है और अदा की गई धनराशि में से 78,000/– रुपया क्रेता द्वितीयपक्ष से बैनामा हाजा में समायोजित किया जिसका प्रथमपक्ष इकबाल करते है व बाकी 10,35,450/– प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया है–

आरटीजीएस	दिनांक	धनराशि	बैंक
आरटीजीएस	23–02–2017	4,00,000/–	सिंडीकेट बैंक, कमला नगर आगरा
आरटीजीएस	28–03–2017	6,35,450/–	उक्त बैंक

इस तरह प्रथमपक्ष को बावत कीमत अब द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न आयदा होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 200419

=9=

मो. जावेद
सहायक कोषाधिकारी
13 FEB 2017
[illegible], आगरा

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत प्लाट पर विक्रेता प्रथमपक्ष ने शामिल अपने क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीयपक्ष को विक्रीत प्लाट का तन्हा मालिक व स्वामी बना दिया । अब क्रेता द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार है कि वह विक्रीत प्लाट के समिति के नियमानुसार बहैसियत मालिक के चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, उसमें हस्ब मन्शा अपने चाहे जिस प्रकार निर्माण करावे और विक्रीत प्लाट को द्वितीयपक्ष बवक्त जरूरत रहन, बै व हिबे आदि जो चाहे सो करे और जरिये बैनामा हाजा अपने नाम का इन्द्राज कागजात सरकारी में बहैसियत मालिक के दर्ज करा ले, प्रथमपक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते है ।

[illegible]

[illegible] mtech

Parul

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ≈10≈ AV 956004

मो० जावेद
सहायक कोषाधिकारी
1 3 [illegible] 2007
कोषागार, आगरा

विदित हो कि शर्त बैनामा साझा ठेका द्वितीयपक्ष ने वहन किया है। स्टाम्प एक्ट की धारा 27(1) के प्राविधान का पूर्ण पालन किया गया है।

For [illegible] ...tech

Partner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 956005

≈11≈

लिहाजा यह बैनामा हस्ब हिदायतपाखलवान के लिख दिया कि सनद रहे व वक्त पर काम आवे । तहरीर तारीख 13-04-2017 ई0 । मसौदा अशोक कुमार शर्मा दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा । दस्तावेज हाजा पर चस्पा फोटो की शिनाख्त गवाहान ने की है ।

कोषागार, आगरा

आगरा

Partner

गवाह-

गवाह-

आज दिनांक **20/04/2017** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **12811**

पृष्ठ सं. **251** से **274** पर क्रमांक **2564**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिव कुमार
उपनिबन्धक द्वितीय
आगरा सदर
20/4/2017